

राजस्थान -सरकार
डिकरी व मुकदमें इत्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाबा दिवानी)

अज अदालत :- उपजिला कलेक्टर बामनवास केम्प कोर्ट शफीपुरा
इजलास: :- रामकिशोर मीना (आर.ए.एस.)

1. प्यारेलाल पुत्र बदरीलाल मीना निवासी राधेकी तहसील बामनवास
2. भजनलाल पुत्र बदरीलाल मीना निवासी राधेकी तहसील बामनवास
3. हरिमोहन पुत्र स्व. बत्तीलाल मीना निवासी राधेकी तहसील बामनवास
4. राजुलाल पुत्र स्व. बत्तीलाल मीना निवासी राधेकी तहसील बामनवास
5. रामनाथी पत्नि स्व. बत्तीलाल मीना निवासी राधेकी तहसील बामनवास

:- वादी :-

बनाम

1. छोटेया पुत्र रामकिशन मीना निवासी राधेकी तहसील बामनवास
2. इन्द्रसहाय पुत्र अंगद मीना निवासी राधेकी तहसील बामनवास
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास

:- प्रतिवादी :-

दावा बाबत स्थाई निषेधज्ञा इन्द्राज दुरस्ती एवं धोषणा खातेदारी
मुकदमा न. :-7/2014

निर्णय: - 8/5/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी :-लैण्ड होल्डर मिनजानिब मुददई व मिनजानिब मुददयालह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :-वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण राजीनामानुसार अंतिम डिक्री किया जाकर निम्न प्रकार पक्षकारान को खातेदार धोषित किया जाता है :-

ग्राम राधेकी तहसील बामनवास के हांल ख.न. 5 व 6 में से 0.09 ऐयर भूमि सलंगन नजरी नक्शा अनुसार एवं हांल ख.न. 18 का रकवा 0.06 ऐयर वरंग लाल भाग स्थिति अनुसार वादीगण को खातेदार एवं काश्तगार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड-में दुरस्ती के आदेश तहसीलदार बामनवास को दिये जाते है । इसी अनुसार दुरस्ती की जावे ।राजीनामा एवं डिक्री निर्णय का भाग रहेगा ।

यह डिक्री राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम पंचायत शफीपुरा तहसील बामनवास पर दिनांक 8.5.2017 को जारी की गई ।

(रामकिशोर मीना)
उपजिला कलेक्टर



नोट:- आदेश दिनांक 30.5.18 बामनवास
रजिस्टार केम पर प्रतिवादी न. 1 की नाम छोटेया
की जगह छोटेया राम पडा जावे। इसी अनुसार
डिक्री पालना की जावे।

उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स० भा०)